न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 रिव्यू पिटीशन रिव्यू 128-I-15

श्रीमती बती पुत्री उमरावी उर्फ उमराव,पत्नी लक्ष्मीप्रसाद कुशवाहा निवासी– ग्राम बिन्दपुरा दरगॉव तहसील जतारा जिला टीकमगढ, म0प्र .....आवेदिका

श्री ... द्वारा आज ... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19/01/15

बनाम

1– सुकईया (मृत) वारिसान –
ए– श्रीमती कलाबाई (पत्नी)
बी– कैलाश (पुत्र)
सी– श्रीमती रति बेवा कमल
डी– लालाराम पुत्र कमल

2– चितुॅआ तनय उमरावी उर्फ उमराव कुशवाहा
समस्त निवासीगण– बिन्दपुरा तहसील पृथ्वीपुर जिला– टीकमगढ, म0प्र0
.....अनावेदकगण

रिव्यू पिटीशन अन्तर्गत धारा 47 सी0पी0सी0 वास्ते आदेश दिनांक 24/04/2014 जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित कर प्रकरण निराकृत किया है ।

श्रीमान् जी,

आवेदिका का आवेदन पत्र सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदिका द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता श्रीमान् एस0डी0ओ0 महोदय निवाडी जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/01/2014 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/03/2014 को प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 21/04/2014 को प्रारंभिक सुनवायी की गयी और आवेदिका को श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये जाने हेतु दिनांक 03/07/2014 की तारीख पेशी दी गयी जिसका उल्लेख माननीय न्यायालय की बोर्ड डायरी में दिनांक 03/07/2014 की कॉज लिस्ट में भी अंकित है।

2– यह कि, दिनांक 03/07/2014 को प्रकरण पत्रिका न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 (श्री अशोक शिवहरे) के न्यायालय में नियत होना आवेदिका को बताया गया और न्यायालय की बोर्ड डायरी में भी दिनांक 03/07/2014 की तारीख पेशी अंकित है । दिनांक 03/07/2014 को संबंधित कर्मचारी द्वारा बताया गया कि आज प्रकरण पत्रिका सुनवायी हेतु निकल नही पायी है और बाद में आकर तारीख ले जाना।

(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 128–एक/2015 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–03–15	आवेदक अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1009–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 24–4–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । **प्रशासकीय सदस्य**	